आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, छत्तरपुर (पलामू)।

विविध वाद संख्या– 05/2016

धारा 145 दण्ड प्रक्रिया संहिता

आदेश

तुलसी यादव वगैरह ———— प्रथम पक्ष

बनाम

उषा देवी वगैरह ———————— द्वितीय पक्ष

विवादी भूमि का विवरण निम्नवत है:–

22.10.2019

मौजा	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा	चौहद्दी
सरसोत	54	106	0.28 ए0	उ0– परनदेव सिंह द0– रास्ता पू0– नीज प0– रास्ता

यह वाद आवेदक 1. तुलसी यादव, 2. मुन्सी यादव दोनो के पिता– स्व0 किशुन यादव 3. रामजन्म यादव, 4. बबन यादव दोनो के पिता– स्व0 करम यादव, 5. विनय यादव, 6. संजय यादव दोनो के पिता– कस्तुरी यादव सभी ग्राम– सरसोत, टोला– बरवाडीह, थाना– हरिहरगंज, जिला– पलामू ने 1. उषा देवी पति– बासुदेव सिंह, 2 उर्मिला देवी पति– बृजदेव सिंह, 3. नागो देवी पति– परनदेव सिंह, 4. बासुदेव सिंह, 5. कर्मदेव सिंह, 6. विनोद सिंह, 7. बृजदेव सिंह चारो के पिता– स्व0 चंद्रिका सिंह, 8. जितेन्द्र सिंह, 9. धर्मेन्द्र सिंह, 10. अरविन्द सिंह, 11. चंदन कुमार सिंह चारो के पिता– परनदेव सिंह, 12. परनदेव सिंह पिता– स्व0 चंद्रिका सिंह, 13. प्रेमजीत सिंह पिता– कर्मदेव सिंह सभी ग्राम– सरसोत, टोला– बरवाडीह, थाना– हरिहरगंज, जिला– पलामू के विरूद्ध धारा 145 दं0प्र0सं0 प्रारम्भ करने हेतु आवेदन पत्र

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के सहित
1	2	
	दाखिल किया गया। उक्त आवेदन पत्र के अवलोकन करने एवं प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने से संतुष्ट होकर वाद भूमि पर धारा 145 दं0प्र0सं0 की प्रक्रिया प्रारम्भ कर उभय पक्षों को नोटिस निर्गत किया गया। नोटिस के आलोक में उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए एवं लिखित कथन दाखिल किये। उभय पक्ष कि ओर से साक्ष्य प्राप्त किया गया। साक्ष्य की कार्रवाई पूर्ण होने के पश्चात् उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता का बहस सुना। प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने अपने लिखित कथन के अनुरूप बहस करते हुए बताया कि यह वाद प्रथम पक्ष के आवेदन पत्र पर प्रारम्भ किया गया है। मौजा– सरसोत, खाता सं0– 54, प्लॉट सं0– 106, रकबा– 0.28 एकड़ भूमि गत सर्वे खतियान में गोवर्धन अहीर वो जीतन अहीर पेशरान रधन कौम अहीर साकिन देह दर्ज है। जिसका खेवट सं0– 1 लगान पानेवाला का मनेजर इन्कम्ब स्टेट कि जानिब बाबु सुरेन्द्र बक्स राय दर्ज है। खतियानी रैयत अपने जीवनकाल में खाता सं0– 54 के अंतर्गत प्लॉटों पर दखल– कब्जा में रहे और उनके मृत्यु के बाद उनके वंशज का शांतिपूर्ण दखल– कब्जा चला आ रहा है। प्रथम पक्ष द्वारा दाखिल लिखित कथन में दर्ज वंशावली के अवलोकन से खतियानी रैयत (प्रथम पक्ष) का दावा स्पष्ट होगा। गोवर्धन अहीर अपने जीवनकाल में शांतिपूर्वक दखल– कब्जा में रहे और गोवर्धन अहीर का खाता सं0– 54, प्लॉट सं0– 106 के सम्पूर्ण भू–भाग पर निर्विवाद दखल– कब्जा रहा और गोवर्धन अहीर के भाई जीतन अहीर के नावल्द मृत होने के कारण खाता सं0– 54 के अंतर्गत प्लॉटों पर गोवर्धन अहीर का दखल– कब्जा कायम हुआ। गोवर्धन अहीर के मृत्यु के बाद उनके वंशज का आज भी दखल– कब्जा चला आ रहा है। प्रथम पक्ष के नाम से सरकारी लगान रसीद कटते चला आ रहा है। हाल सर्वे खतियान –	

11

की क्रम और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	प्रथम पक्ष के पूर्वज के नाम से निर्गत हुआ है, जिसका प्रकाशन वर्ष 2008 है। प्रथम पक्ष के द्वारा राजस्व पदाधिकारी, डालटनगंज के न्यायालय में रेवेन्यू सूट नं0– 147/2008 बिगन पासी के विरूद्ध दाखिल किया गया है। प्रथम पक्ष के द्वारा उक्त भूमि का विक्री नहीं किया गया है। द्वितीय पक्ष जाली दस्तावेज के आधार पर प्रथम पक्ष के भूमि पर दावा करते हैं। द्वितीय पक्ष का प्रश्नगत भूमि पर कभी भी दखल– कब्जा एवं स्वामित्व नहीं रहा है। द्वितीय पक्ष बिगन पासी से भूमि क्रय करने की बात अपने लिखित कथन में कहते हैं, जबकी बिगन पासी को भूमि बेचने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकी प्रश्नगत भूमि प्रथम पक्ष की खतियानी भूमि है। अतः अनुरोध है कि प्रथम पक्ष के पक्ष में दखल– कब्जा की घोषणा करने की कृपा की जाय तथा विपक्षी को प्रश्नगत भूमि पर जाने से रोका जाय। द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि यह वाद प्रथम पक्ष के आवेदन पत्र पर थाना प्रभारी, हरिहरगंज से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर प्रारम्भ किया गया है। जाँच प्रतिवेदन में थाना प्रभारी, हरिहरगंजन ने स्थल जाँच के क्रम में द्वितीय पक्ष के मकान एवं चहारदिवारी पाया है। प्रथम पक्ष को इस वाद की भूमि पर किसी भी प्रकार का हक दखल– कब्जा एवं स्वामित्व का अधिकार नहीं है। वाद भूमि पर द्वितीय पक्ष के शांतिपूर्ण दखल– कब्जा में प्रथम पक्ष के द्वारा उत्पन्न किया गया विवाद काल्पनीक एवं निराधार है। वाद भूमि पर पशुपतिनाथ सिंह सम्पूर्ण हक दखल– कब्जा एवं स्वामित्व का अधिकार स्थापित था और पशुपतिनाथ सिंह ने निबंधित विक्रय पत्र सं0– 6901 दिनांक 16.11.1964 के द्वारा इस वाद के भूमि को बिगन पासी के पक्ष में विक्री कर दिये और विक्रय पत्र के आधार पर बिगन पासी इस वाद के भूमि के ऊपर दाखिल काबीज हुए और नामांतरण प्रक्रिया सम्यक जाँच–	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदे... कार्र... टिप्प... सहि...
1	2	
	के उपरांत अंचल अधिकारी, हरिहरगंज के द्वारा बिगन पासी के पक्ष में नामांतरण किये। बिगन पासी सरकार को लागान देकर सरकारी लगान रसीद प्राप्त करने लगे। बिगन पासी ने खाता सं– 54, प्लॉट सं0–106 में रकबा– 18.50 डी0 भूमि निबंधित विक्रय पत्र सं0– 10715 दिनांक–23.11.2006 के द्वारा श्रीमती उषा देवी पति– बासुदेव सिंह एवं श्रीमती उर्मिला देवी पति– वृजदेव सिंह के पक्ष में विक्री कर दिये। पुनः बिगन पासी ने उक्त खाता प्लॉट की भूमि निबंधित विक्रय के द्वारा 7.50 डी0 भूमि श्रीमती नागो देवी पति– परमदेव सिंह के पक्ष में विक्री कर दिये। विक्रय पत्र के आधार पर सभी क्रेतागण अपने खरीदगी भूमि पर दाखिल– काबीज हैं तथा खरिदगी भूमि का नामांतरण कराते हुए सरकार को मालगुजारी देकर सरकारी रसीद प्राप्त करते चले आ रहे हैं। द्वितीय पक्ष के सदस्यगण का इस वाद भूमि पर मकान आदि है। प्रथम पक्ष के द्वारा इस भूमि पर धारा 144 दं.प्र.सं. का प्रक्रिया द्वितीय पक्ष के विरूद्ध प्रारम्भ किया गया था जिसका विविध वाद सं0– 64/2015 था। इस वाद में प्रथम पक्ष के विरूद्ध एवं द्वितीय पक्ष के पक्ष में आदेश पारित किया गया है। द्वितीय पक्ष के द्वारा अपने दखल– कब्जा के समर्थ में मौखिक चार साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। द्वितीय पक्ष के द्वारा दाखिल कागजात एवं गवाहों के व्यान से विवादी भूमि पर द्वितीय पक्ष का दखल– कब्जा की पुष्टि होती है। प्रथम पक्ष के लिखित कथन में वर्णित सभी बातें काल्पनीक एवं निराधार है। प्रथम पक्ष की ओर से कोई भी कागजात प्रदर्श नहीं कराया गया है। द्वितीय पक्ष के द्वारा दाखिल कागजात एवं मौखिक साक्ष्य से विवादी भूमि पर द्वितीय पक्ष का दखल– कब्जा स्पष्ट प्रमाणित होता है। अतः प्रक्रिया अंतर्गत –	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

विवादी भूमि पर द्वितीय पक्ष का दखल– कब्जा घोषित किया जाय तथा प्रथम पक्ष को वाद भूमि पर जाने से रोका जाय।

प्रथम पक्ष की ओर 05 साक्षियों का साक्ष्य प्रस्तुत किया गया जो इस प्रकार है:–

प्रथम पक्ष साक्षि संख्या– 01:– अमेरिका राम पिता– स्व0 लोचन राम ग्राम– सरसोत, थाना– हरिहरगंज, जिला– पलामू ने अपने परीक्षण में प्रथम पक्ष के तुलसी यादव का दखल– कब्जा होने का दावा किया है।

प्रथम पक्ष साक्षि संख्या– 02 :– लक्ष्मण यादव पिता– स्व0 बालकेश्वर याद, ग्राम– सरसोत, थाना– हरिहरगंज, जिला– पलामू ने भी अपने परीक्षण एवं प्रतिपीरक्षण में प्रथम पक्ष के तुलसी यादव के दखल– कब्जा होने का दावा कियें हैं।

प्रथम पक्ष साक्षि संख्या– 03 :– सूर्यदेव यादव पिता– स्व0 भुनेश्वर यादव, ग्राम– भांवर, थाना– हरिहरगंज, जिला– पलामू ने भी अपने परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण में प्रथम पक्ष के तुलसी यादव के दखल– कब्जा होने का दावा कियें हैं।

प्रथम पक्ष साक्षि संख्या– 04 :– महावीर यादव पिता– स्व0 सीकेश्वर यादव, ग्राम– सरसोत, टोला– बरवडीह, थाना– हरिहरगंज, जिला– पलामू ने भी अपने परीक्षण में प्रथम पक्ष के तुलसी यादव के दखल– कब्जा होने का दावा कियें हैं।

प्रथम पक्ष साक्षि संख्या– 05 :– तुलसी यादव पिता– स्व0 कृष्ण यादव, ग्राम– भौराहा, थाना– हरिहरगंज ने भी अपने परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण में प्रथम पक्ष के तुलसी यादव के दखल– कब्जा होने का दावा कियें हैं।

द्वितीय पक्ष की ओर 04 साक्षियों का साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है जो इस प्रकार है:–

द्वितीय पक्ष साक्षि संख्या– 01:– रामदेव सिंह पिता– स्व0 चन्द्रदेव सिंह

ग्राम– सरसोत, थाना– हरिहरगंज, जिला– पलामू ने विवादी भूमि पर परीक्षण में उषा देवी का दखल– कब्जा होने का दावा करते हैं, जबकी प्रतिपरीक्षण में बासुदेव सिंह का दखल– कब्जा नहीं होने की बात कहते हैं।

द्वितीय पक्ष साक्षि संख्या–02 :– अवध सिंह पिता–स्व0 बदरी सिंह ग्राम–सरसोत, थाना– हरिहरगंज, जिला– पलामू ने प्रश्नगत भूमि का परीक्षण में द्वितीय पक्ष के दखल– कब्जा का दावा करते हैं।

द्वितीय पक्ष साक्षि संख्या–03 :– उषा देवी पति– बासुदेव सिंह ग्राम– सरसोत, थाना– हरिहरगंज, जिला– पलामू ने अपने प्रतिपरीक्षण में तुलसी यादव के दखल– कब्जा है नहीं बता सकते है की गवाही दी है।

द्वितीय पक्ष साक्षि संख्या–04 :– बासुदेव सिंह पिता–स्व0 चन्द्रीका सिंह ग्राम– सरसोत, थाना– हरिहरगंज, जिला– पलामू ने अपने परीक्षण में विभिन्न कागजातों को प्रदर्श अंकित कराया गया है। प्रतिपरीक्षण में केवाला सं0– 2542/10715 के लिखने के समय पहचान होने की बात कही है।

प्रथम पक्ष के द्वारा निम्नांकित दस्तावेज को साक्ष्य के रूप में दाखिल किया गया है, जिसे न्यायालय के द्वारा प्रदर्श के रूप में अंकित किया गया है:–

प्रथम पक्ष की ओर दाखिल दस्तावेज पुराना खतियान जिसे प्रदर्श– "A" एवं हाल सर्वे खतियान की सत्यापित प्रति को प्रदर्श– "B" अंकित किया गया।

द्वितीय पक्ष के द्वारा निम्नांकित दस्तावेज को साक्ष्य के रूप में दाखिल किया गया है जिसे न्यायालय के द्वारा प्रदर्श के रूप में अंकित किया गया है:–

द्वितीय पक्ष की ओर से दाखिल दस्तावेज निबंधित विक्रय पत्र सं0– 690 दिनांक 11.06.1964 कि सत्यापित प्रति जिसे

आदेश या कार्यवाही की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	प्रदर्श– "A", निबंधित विक्रय पत्र सं0– 2542 दिनांक 15.03.2009 को प्रदर्श– "B", निबंधित विक्रय पत्र सं0– 10715 दिनांक 23.11.1996 को प्रदर्श– "B/1", लगान रसीद सं0– 104114 को प्रदर्श– "C", लगान रसीद सं0– 142656 को प्रदर्श– "C/1" लगान रसीद सं0– 142670 को प्रदर्श– "C/2", विविध वाद सं0– 64/2015 (धारा 144 दं0प्र0सं0) में पारित अंतिम आदेश दिनांक– 10.12.2015 की सत्यापित प्रति को प्रदर्श– "D", एवं विविध वाद सं0– 247/15 (धारा 107 दं.प्र.सं.) के सत्यापित प्रति आदेश फलक एवं गवाही को प्रदर्श– "E" के रूप में अंकित किया गया। द्वितीय पक्ष के स्वतंत्र गवाह सं0– 02 अवध सिंह पिता– स्व0 बदरी सिंह, ग्राम– सरसोत, थाना– हरिहरगंज, जिला– पलामू ने अपने परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण में द्वितीय पक्ष का दखल– कब्जा होने की बात कही है तथा थाना प्रभारी, हरिहरगंज ने भी जाँच प्रतिवेदन में वाद भूमि पर द्वितीय पक्ष के पक्का का मकान एवं चहारदिवारी की ऊँचाई लगभग 1 फीट होने की पुष्टि किया है। उभय पक्ष के मौखिक साक्ष्य एवं दस्तावेजीय साक्ष्य के अवलोकन एवं परिशीलन से यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि वाद भूमि पर प्रक्रिया प्रारम्भ होने कि तिथि के पूर्व से द्वितीय पक्ष का दखल– कब्जा विद्यमान रहा है। अतः प्रक्रिया अंतर्गत भूमि पर द्वितीय पक्ष का दखल– कब्जा घोषित किया जाता है तथा प्रथम पक्ष को प्रक्रिया अंतर्गत भूमि पर जाने से तब तक के लिए रोक लगाई जाती है, जब तक सक्षम न्यायालय का अन्यथा कोई आदेश पारित न हो जाय। लेखापित एवं संशोधित। अनुमण्डल दण्डाधिकारी, छत्तरपुर (पलामू)। अनुमण्डल दण्डाधिकारी, छत्तरपुर (पलामू)।	

Digitally signed by ASHISH GANGWAR
Date: 2025.01.21 14:05:28 +05:30
Location: 192.168.1.1